

मधु लिमये और एक अन्य

बनाम

वेद मूर्ति और अन्य

(Madhu Limaye and Another

Vs.

Ved Murti and Others)

(10 सितम्बर, 1970)

(मुख्य न्यायाधिपति एम० हिदायतुल्लाह, न्या० जे० एम० शैलत, वी० भागव, जी० के० मिस्त्र, सी० ए० वर्धालिगम्, ए० एन० रे और आई० डी० दुआ)

संविधान—अनुच्छेद 348—बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट में मध्यक्षेपी द्वारा हिन्दी में बहस करने की अनुज्ञा चाही जाना—उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है अतः जब दोनों पक्षकारों के काउन्सेल और न्यायपीठ के बहुत से सदस्य हिन्दी में बहस को समझने में असमर्थ हों तब ऐसी अनुज्ञा नहीं दी जा सकती—न्यायालय द्वारा सुझाए गए विकल्पों का मध्यक्षेपी द्वारा स्वीकार न किया जाना—ऐसी दशा में मध्यक्षेप रद्द करना होगा ।

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन एक बन्दी-प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) के रिट के लिए पिटीशन में राजनारायण को मध्यक्षेप करने की अनुज्ञा दी गई थी । उसकी प्रार्थना पर उसे न्यायालय की हिन्दी में सम्बोधित करने की अनुज्ञा दी गई थी । किन्तु दोनों पक्षों के काउन्सेल और न्यायपीठ के बहुत-से सदस्य हिन्दी में उनकी बहस को समझने में असमर्थ रहे । न्यायालय ने उन्हें अंग्रेजी में सम्बोधित करने के लिए अथवा अपने मामले को काउन्सेल द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अथवा अपने लिखित तर्क अंग्रेजी में देने के लिए कहा । उसने इनमें से किसी भी सुझाव को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । मध्यक्षेप रद्द करते हुए,

मधु लिमये ब० वेद मूर्ति [मु० न्या० हिदायतुल्लाह]

779

अग्निनिर्धारित—इन परिस्थितियों में मध्यक्षेपी को हिन्दी में अपनी बहस जारी करने की अनुज्ञा देना व्यर्थ था । न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होने के कारण और मध्यक्षेपी के उसको दिए गए किसी भी सुझाव से सहमत न होने के कारण न्यायालय के पास उसके मध्यक्षेप को रद्द करने का ही विकल्प रह गया था ।

आरम्भिक अधिकारिता : 1970 का रिट पिटीशन संख्या 307.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन बन्दी-प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) की प्रकृति के रिट के लिए फाइल किया गया रिट पिटीशन ।

पिटीशनर संख्या 1 की ओर से	पिटीशनर स्वयं उपसंजात हुआ
पिटीशनर संख्या 2 की ओर से	सर्वश्री के० राजेन्द्र चौधरी और प्रताप सिंह
प्रत्यर्थियों की ओर से	सर्वश्री सी० डी० दफ्तरी, एल० एम० सिंघवी और ओ० पी० राणा
भारत संघ की ओर से	श्री निरेन डे, भारत के महान्यायवादी, सर्वश्री आर० एच० डेबर, एच० आर० खन्ना, एस० पी० नायर और आर० एन० सचदे
मध्यक्षेपी की ओर से	सर्वश्री एस० सी० अग्रवाल, डी० पी० सिंह और राज नारायण (स्वयं उपसंजात हुआ)

आदेश

श्री राज नारायण ने कल हिन्दी में बहस करने का आग्रह किया । उसे कुछ समय के लिए इस दृष्टिकोण से सुना गया जिससे कि यह, सुनिश्चित किया जा सके कि क्या हम उसकी बात को समझ सकते हैं, इस सादे कारणोंवश क्योंकि यह नागरिक की स्वतन्त्रता अन्तर्बलित करने वाला बन्दी-प्रत्यक्षीकरण पिटीशन है । मामले के महत्व के कारण हमने उसे कुछ समय के लिए सुना किन्तु महान्यायवादी श्री दफ्तरी जो उसका विरोध कर रहे हैं और न्यायपीठ के कुछ सदस्य कल हिन्दी में की गई बहस को नहीं समझ सके । इन परिस्थितियों में श्री राज नारायण को अपनी बहस हिन्दी में जारी रखने की अनुज्ञा देना व्यर्थ है । उनके पास

780

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका [1976] 2 उम० नि० ५०

पहले से ही श्री डी० के० सिंह नामक काउंसलर हैं और वे उनकी मदद कर रहे हैं। हमने निम्नलिखित तीन विकल्पों का सुझाव दिया—

(क) यह कि वह अंग्रेजी में बहस करें; अथवा

(ख) वह अपने काउंसलर को अपना पक्षकथन प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दें; अथवा

(ग) वह अपने लिखित तर्क अंग्रेजी में दें।

2. इस न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है (देखें सविधान का अनुच्छेद 348) यदि श्री राज नारायण इन सुझावों से सहमत नहीं हैं और हम यह समझते हैं कि वे नहीं हैं तो हमारे समक्ष उसके मध्यक्षेप को रद्द करने का ही एकमात्र विकल्प है। हम तदनुसार आदेश देते हैं।

मध्यक्षेप रद्द किया गया।

श०